राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग,जयपुर

आदेशिका

परिवाद संख्या– 21/29/3977 **दिनांक–06.09.2021**

एकलपीठ

समक्षः– माननीय अध्यक्ष जस्टिस श्री गोपाल कृष्ण व्यास

आज दिनांक 06.09.2021 को विभिन्न समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि **''रातभर छेडछाड करता रहा चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी में किया रेप–घटना को दबाने के लिए थाने में कवायद, विरोध करने पर पीडिता को पीटा''**

राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों में पुलिस चौकी सिंगरावट, पुलिस थाना धोद में एक युवती के साथ बलात्कार की घटना प्रकाशित हुई है जिसमें यह दर्शाया गया है कि पुलिस चौकी सिंगरावट में आरोपी हैड कांस्टेबल सुभाष एक युवती के साथ रातभर छेडछाड करता रहा और युवती के साथ बालात्कार किया।

समाचार पत्रों में यह भी दर्शाया गया है कि जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर के आदेश पर देर रात मामला दर्ज हुआ एवं पुलिस थाने में घटना को दबाने की कोशिश भी की गई एवं विरोध करने पर पीडिता महिला को पीटा भी गया है। इस तरह के समाचारों से पुलिस की छवि पर निश्चित ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, इसलिए उपरोक्त समाचारों पर आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर समाचार पत्र एवं इस आदेश की प्रतिलिपि **जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर** को भेज कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर रिपोर्ट तलब की जाती है :–

1– क्या पीडिता के परिवाद पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है यदि कर ली गई है तो किन–किन धाराओं में दर्ज की गई है।

2– पुलिस चौकी सिंगरावट में कितने पुलिसकर्मी तैनात है।

3– पुलिस चौकी सिंगरावट में क्या महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है यदि तैनात है तो कितनी महिला पुलिसकर्मी तैनात है।

4– घटना के दिन रात में चौकी पर कितने पुलिसकर्मी तैनात थे।

5– किन–किन व्यक्तियों ने राजीनामा करने के लिए पंचायत की, राजीनामा करने वालों के नाम की सूची आयोग को उपलब्ध कराई जावे।

6– जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर यह अवगत करावे कि उन्हें इस घटना की सूचना कब एवं किसके माध्यम से मिली।

जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर प्रकरण के संबंध में जांच कर आगामी तारीख पेशी से पूर्व तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग के अवलोकनार्थ प्रेषित करें। प्रकरण में **आज ही नोटिस** जारी किया जावे एवं आदेश मय प्रकाशित समाचार की प्रतिलिपि के आज ही जरिये **फैक्स एवं ईमेल** संबंधित को प्रेषित की जावे।

पत्रावली दिनांक 15.09.2021 को पेश हो।

(न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण व्यास)
अध्यक्ष

RJ

पुलिस शर्मसार | श्रीगंगानगर जिले से लेकर आ रहा था प्रेमी युगल को

रातभर छेड़छाड़ करता रहा चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी में किया रेप

■ एसपी के आदेश पर देर रात मामला दर्ज
■ घटना को दबाने के लिए थाने में कवायद
■ विरोध करने पर पीड़िता को पीटा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सीकर . सीकर में पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। प्रेमी संग घर से भागी दलित युवती को वापस लाते समय रास्ते में पुलिस चौकी प्रभारी छेड़छाड़ करता रहा।

आरोप है कि तड़के चार बजे चौकी पहुंचने के बाद बयान लेने के बहाने चौकी में ही बलात्कार किया। यह वाकया 29 अगस्त को तड़के साढ़े चार बजे धोद थाने की सिंगरावट चौकी में हुआ। पीड़िता अपने प्रेमी के साथ दूसरे दिन धोद थाने पहुंची तो थाने में 'ले-देकर' मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया। आखिरकार पीड़िता ने अपने प्रेमी के साथ एसपी के समक्ष उपस्थित होकर परिवाद पेश किया तो अधिकारी सकते में आ गए। हैडकांस्टेबल को चौकी से हटाने के साथ मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण राजेश आर्य को सौंपी है। एसपी को दिए परिवाद में पीड़िता ने प्रेमी को पति बताया है।

आरोपी चौकी प्रभारी सुभाष पीड़िता को लाने के लिए महिला कांस्टेबल साथ लेकर नहीं गया था। आरोपी के अनुसार श्रीगंगानगर जिले के एक थाने की एक महिला कांस्टेबल उनके साथ आई थी।

(राजस्थान पेज भी देखें)

राजीनामे के लिए थाने में चली पंचायती

युवती ने घटना की जानकारी अपने प्रेमी और परिजन को दी। दूसरे दिन वे शिकायत करने धोद थाने पहुंचे तो वहां हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों ने मामले को 'ले-देकर' निपटाने के लिए पंचायत बैठाई। युवती के भाई और भाभी भी वहां आ गए। सूत्रों का कहना है थाने के पुलिस अधिकारियों ने युवती को मामला दर्ज नहीं करवाने के लिए राजी कर लिया, लेकिन यह प्रेमी को नागवार लगा। वह तीन सितम्बर को युवती के साथ एसपी के समक्ष पेश हुआ। यहां पर दिए गए परिवाद में चौकी प्रभारी हैडकांस्टेबल सुभाष कुमार पर छेड़छाड़ और चौकी में बलात्कार का आरोप लगाया। एसपी ने जांच के लिए परिवाद पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण राजेश आर्य को सौंप दिया। पुलिस ने रविवार देर रात चौकी प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पीड़िता का मेडिकल अभी नहीं कराया गया है। न ही बयान लिया गया है।

गाड़ी में युवक को आगे बैठाकर, पीड़िता के पास बैठ गया आरोपी

सीकर जिले की युवती 12 अगस्त को घर से लापता हो गई थी। परिजन ने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस को पता चला कि युवती अपने प्रेमी के साथ श्रीगंगानगर जिले में है। सिंगरावट चौकी प्रभारी हैडकांस्टेबल सुभाष कुमार उनको लाने के लिए गया। आरोप है कि सुभाष ने प्रेमी को गाड़ी में आगे की सीट पर बैठा दिया और स्वयं पीछे युवती के पास बैठ गया। रास्ते में वह छेड़छाड़ करने लगा। युवती ने विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी। 29 अगस्त को तड़के करीब साढ़े चार बजे सभी लोग चौकी पहुंचे। सुभाष ने प्रेमी को बाहर भेज दिया और बयान लेने के बहाने युवती को अंदर रखा। चौकी पर ही युवती से बलात्कार किया और डरा धमकाकर युवक के साथ भेज दिया।

आरोपी हैड कांस्टेबल सुभाष।

युवती ने वापसी के चार दिन बाद पेश होकर परिवाद दिया है। जिसमें सिंगरावट चौकी प्रभारी पर छेड़छाड़ व चौकी में बलात्कार का आरोप लगाया गया है। पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण को इसकी जांच दी गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। चौकी प्रभारी को वहां से हटाकर लाइन में भेजा गया है। **कुंवर राष्ट्रदीप,** पुलिस अधीक्षक, सीकर

पीड़िता के बयान लिए जाएंगे

एसपी के निर्देश पर रविवार देर रात हैडकांस्टेबल सुभाष के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। डीवाइएसपी राजेश आर्य ने बताया कि कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब पीड़िता के बयान लिए जाएंगे।

RJ